उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51, 1976)

THE UTTAR PRADESH AREA DEVELOPMENT ACT, 1976

(U.P. Act No. 51 of 1976)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51, 1976]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4, 1987

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 27, 1989

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 32, 2007

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनाँक 2 नवम्बर, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनाँक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनाँक 20 नवम्बर 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनाँक 23 नवम्बर, 1976 को प्रकाशित हुआ।]

सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले सिक्त क्षेत्रों या किन्हीं अन्य क्षेत्रों के व्यापक विकास से संबंधित विषयों और इस प्रयोजन के लिये निगमित निकायों की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनाँक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और इस अधिनियम की भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिये और भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,––

(क) "कृषि विकास" का तात्पर्य किसी कृषि भूमि का विकास करने या कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये जाने वाले कार्य से है और इसमें जलोत्सारण, भूमिगत जल विकास और भू–संरक्षण सम्मिलित है;

(ख) "कृषि उत्पदन" में कृषि उत्पादन, औद्योगिकी, मत्स्य पालन, वन विज्ञान, रेशम, कृषि उत्पादन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध उत्पादन, शूकर पालन और कुक्कुट पालन सम्मिलित हैं और ऐसे अन्य प्रकार के उत्पादन भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार उनका सहायक या आनुषंगिक अधिसूचित करें ;

(ग) "प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित क्षेत्र विकास प्राधिकारी से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकारी के अध्यक्ष से है;

(ङ) किसी सिंचाई परियोजना के संबंध में "सिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे सिंचाई के प्रयोजनों के लिये सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिक्त किया जा सके और जिसकी सीमायें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जांय;

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 23 नवम्बर,, 1976 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

(च) "निर्माण कार्य की लागत" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा अनुमानित सभी लागत, परिव्यय और व्यय से है, जिसे प्राधिकारी को निर्माण कार्य के निष्पादन पर, या संबंध में करना पड़े, और इसमें यथाविहित कोई अन्य परिव्यय या फीस भी सम्मिलित है और इसमें ऐसे सभी व्यय भी सम्मिलित हैं, जो प्राधिकारी द्वारा उसकी वसूली के लिये किये जांय ;

(छ) "जिला समिति" का तात्पर्य धारा 18 के अधीन स्थापित जिला समिति से है;

(ज) "अपात्र व्यक्ति" का तात्पर्य उस व्यक्त्ति से है जो सामान्य भूमि विकास ऋण के लिये पात्र न हो, और निम्नलिखित किसी श्रेणी का होः—

(एक) किसान जिसका कोई विधिमान्य हक नहीं हो ;

(दो) अवैध अधियोगी ;

(तीन) अवयस्क ;

(चार) क्षेत्रपति जो संस्थागत स्रोतों की ऐसी भारी ऋणग्रस्तता के कारण जिन्हें अग्रेतर पूंजी विनियोग के लिये धन प्राप्त करने के पूर्व चुकता करना है, संस्थागत वित्त प्राप्त करने में असमर्थ है ;

(पांच) ग्रामीण शिल्पी ; या

(छः) कृषि श्रमिक ;

(झ) "भूमि विकास" का तात्पर्य निम्नलिखित किसी निर्माण कार्य से है, अर्थात्—

(एक) जल—मार्गों का निर्माण, नवीकरण, पूनः रूपांकन, पुनः संरेखन और चिनाई करना ;

(दो) भूमि को समतल करना और अनुकूल बनाना जिसमें खेत की सीमाओं का पुनः संरेखन भी सम्मिलित है ;

(तीन) खेतों में कुरिया, कुल्या और चक सड़कों को खोदना ;

(चार) खेतों में कुरिया, और चक सड़कों की व्यवस्था करना;

(पांच) अभियंत्रिक, जैविक और रसायनिक उपायों का उपयोग करके जिसके अन्तर्गत अपक्षालन भी है, भूमि का सुधार करना;

(छ) कन्टर बांध और नाला बांध ;

(सात) वृक्ष, पौधा, झाड़ी, और घास उगाना ;

(आठ) स्थायी ओर अस्थायी चरागाह, प्रक्षेत्र वन विज्ञान और वाणिज्यिक वनरोपण का विकास ;

(नौ) ऐसे अन्य निर्माण कार्य जो भूमि या जमीन या जल प्रवाह क्षमता के विकास के लिये और भूमि और जल के स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिये आवश्यक या आनुषांगिक हों ; और

(दस) किसी पूर्ववर्ती निर्माण—कार्य की मरम्मत और अनुरक्षण;

(ञ) "क्षेत्रपति" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका भूमि पर वास्तविक कब्जा हो, चाहे वह स्वामी या काश्तकार या शिकमी काश्तकार या भोग बन्धकी या लाइसेन्सधारी के रूप में हो या अन्य प्रकार से हो, और जिसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसके भूमि विकास से लाभान्वित होने की सम्भावना हो, और तद्नुसार पद "जोत" का अर्थ लगाया जायगा।

(ट) "सामान्य ऋण" का तात्पर्य किसी बैंक या किसी वित्त पोषण संस्था द्वारा किसी क्षेत्रपति को भूमि बन्धक रखने या किसी अन्य प्रतिभूति के प्रति दिये गये ऋण से है ;

(ठ)"कुलाबा का सिक्त क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसमें प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट कुलाबा का सिंचाई के प्रयोजनों के लिये उपयोग होता हो ;

(ड) "योजना" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योजना से है ;

(ढ) "परियोजना" का तात्पर्य भूमि विकास की किसी परियोजना या स्कीम से है ;

(ण) "परियोजना प्रशासक" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया हो ;

(त) "परियोजना निदेशक" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट अधिकारी से है और इसमें ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारीगण भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्राधिकारी परियोजना निदेशक की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत करे ;

(थ) "निर्माण–कार्य की आनुपातिक लागत" का तात्पर्य क्षेत्रपति से उसकी जोत पर या उसके लाभ के लिये किये जाने वाले निर्माण कार्य के अनुपात में वसूल की जाने वाली निर्माण कार्य की लागत से है ;

(द) "अधिकारी अभिलेख" का वही अर्थ होगा जैसा यू0 पी0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में है ;

(ध) "सचिव" का तात्पर्य प्राधिकारी के सचिव से है ;

(न) "छोटा किसान" "सीमान्त किसान", "कृषि श्रमिक" और "ग्राम शिल्पी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा इस रूप में परिभाषित व्यक्तियों से है ;

(प) "विशेष ऋण" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा किसी अपात्र व्यक्ति को दिये गये ऋण से है ;

(फ) "निर्माण–कार्य" में इस अधिनियम के अधीन किसी परियोजना के अन्तर्गत निष्पादित किये जाने वाले भूमि विकास से संबंधित कोई निर्माण कार्य भी सम्मिलित है

सिक्त क्षेत्र विकास प्राधिकारी की स्थापना

3–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिये जिसे अधिसूचित किया जाय, क्षेत्र विकास प्राधिकारी की स्थापना कर सकती है :

परन्तु किसी सिंचाई परियोजना के प्रत्येक सिक्त क्षेत्र के लिये एक पृथक् क्षेत्र विकास प्राधिकारी होगा :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी की अधिकारिता को इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये जिन्हें अधिसूचित किया जाय, सिक्त क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र पर बढ़ा सकती है।

(2) क्षेत्र विकास प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा, और सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा।

(3) प्राधिकारी का प्रधान कार्यालय उस स्थान पर होगा जो उसकी स्थापना की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जायगा।

प्राधिकारी का गठन

4–(1) प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे :–

(क) परियोजना प्रशासक जो अध्यक्ष होगा ;

[(कक) जब सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किन्हीं दो गैर–सरकारी सदस्यों को, जिनकी सिक्त क्षेत्र के विकास में रुयि और अनुभव हो, राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।][1]

(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो ;

[(खख) क्षेत्र के अन्तर्गत अपने वाले जिलों के कलेक्टर।][2]

(ग) राज्य सरकार के पांच से अनधिक अधिकारी ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट उसका एक प्रतिनिधि ;

(ङ) बैंकों और वित्तीय पोषण संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य ;

(च) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के संबंध में विषेश ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला एक सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायगा ;

(छ) संगत क्षेत्र के क्षेत्रपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले चार से अनधिक सदस्य, जिनमें से दो उस क्षेत्र के निर्बल वर्गों में से और अन्य दो उस क्षेत्र के छोटे किसानों में से नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) परियोजना प्रशासक अपर, संयुक्त या परियोजना प्रशासकों में से किसी एक को परियोजना का सचिव नाम–निर्दिष्ट करेगा।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न प्राधिकारी का कोई सदस्य तीन वर्ष के लिये पदासीन होगा जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसकी पदावधि पहले समाप्त न कर दे।

समितियों आदि का गठन

5–(1) प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी प्रयोजन या किन्हीं प्रयोजनों के लिये, प्राधिकारी को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिये, स्थायी या तदर्थ समितियों का गठन कर सकता है जिसमें या तो पूर्णरूप से प्राधिकारी के सदस्य या पूर्णरूप से प्राधिकारी के सदस्य या पूर्णरूप से अन्य व्यक्ति या प्राधिकारों के कुछ सदस्य और कुछ सदस्य और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति या समितियों के अशासकीय सदस्यों के निबन्धन और शर्तें वही होंगी, जिन्हें अधिसूचित किया जाय।

(3) समिति या समितियां ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगी जो उन्हे प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे जायं।

बैठक

6–(1) प्राधिकारी की बैठक की प्रक्रिया, जिसमें बैठक के लिये गणपूर्ति भी सम्मिलित है, वही होगी, जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) प्राधिकारी किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी की बैठक में उपस्थित होने के लिये किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है, और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति प्राधिकारी की किसी कार्यवाही में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

अंश पूंजी और अंशधारी

7–(1) प्राधिकारी की प्राधिकृत पूंजी दस करोड़ रूपये होगी, जो दस–दस हजार रूपये के दस हजार अंशों में विभाजित होगी, जिनमें से दस'–दस हजार रूपये के दो हजार पूर्ण रूप से संदत्त अंश पहली बार निर्गत किये जायेंगे, और शेष अंश राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति से प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर, जब कभी प्राधिकारी आवश्यक समझे, निर्गत किये जा सकते है।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 32, 2007 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4,1987 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार प्रथम बार निर्गत की जाने वाली अंश पूंजी में, ऐसे अनुपात में जो उनके द्वारा परस्पर अवधारित किया जाय अंशदान करेगी।

(3) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुपात में,जो परस्पर अवधारित किया जाय, अंशपूंजी के अनुवर्ती निर्गम में अंशदान कर सकती है।

(4) राज्य सरकार समय–समय पर प्राधिकारी की प्राधिकृत पूंजी को ऐसी सीमा तक बढ़ा सकती है जैसी राज्य सरकार आवश्यक समझे।

कर्मचारी की नियुक्ति

8–(1) प्राधिकारी अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उपयुक्त समझेः

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें, नियुक्ति और उनके निबन्धन और शर्तों का अवधारण राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा।

(2) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुये प्राधिकारी के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण सचिव में निहित होगा।

प्राधिकारी के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

9–प्राधिकारी की बैठकों की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेगी और प्राधिकारी के सभी आदेश और अन्य लिखतें प्राधिकारी के सचिव या ऐसे अअन्य अधिकारी के जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किये जायेंगे।

अनौपचारिकता या रिक्ति के कारण कार्य अवधि मान्य नहीं होंगे

10–प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल :–

(क) प्राधिकारी या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता होने ; या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने ; के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी।

प्राधिकारी के कृत्य

11–प्राधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्:–

(1) अपने प्रवर्तन क्षेत्र के भीतर अधिक्षेत्र के एकीकृत क्षेत्र और कृषि विकास के लिये योजना बनाना;

(2) प्रत्येक कुलाबा के सिक्त क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को एक यूनिट मानना और दक्षतापूर्ण खेती के हित में उसका स्थल रूपरेखीय और जल विज्ञान सम्बन्धी आवश्यकता के अनुसार विकास करना;

(3) भूमि, जल स्रोतों कृषि उत्पादन की और इसी प्रकार के सर्वेक्षण करना जो ऐसी योजनाओं को बनाने के लिये आवश्यक हो;

(4) राज्य सरकार के अनुमोदन के लिये ऐसी योजनायें प्रस्तुत करना, जिनमें उनका क्षेत्रवार और कार्यवार विभाजन दिखाया गया हो;

(5) राज्य सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करने के पश्चात् उन्हें कार्यान्वित करना;

(6) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो विहित किये जांय या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जांय।

12–प्राधिकारी की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात्:—— **प्राधिकारी की शक्ति**

(1) भूमि, जल स्रोतों और कृषि उत्पादन का और इसी प्रकार के सर्वेक्षण करना जिन्हें प्राधिकारी योजनाओं को बनाने के लिये आवश्यक समझे;

(2) योजना को बनाने में, जिसके उसके बनाने के लिये सर्वेक्षण भी सम्मिलित है, राज्य सरकार के किसी विभाग, किसी स्थानीय निकाय या निगमित निकाय से सहायता की अपेक्षा करना; और ऐसे सर्वेक्षण या ऐसी योजना बनाने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार के किसी विभाग, किसी स्थानीय निकाय–निगमित निकाय या किसी व्यक्ति विशेष से अभिलेखों और दस्तावेजों की मांग करना;

(3) अनुमोदित योजना के कार्यान्वित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय करना जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं——

(क) सिंचाई प्रणाली का निर्माण, सुधार अनुरक्षण या परिचालन;

(ख) मुख्य और सहायक जलोत्सारण प्रणाली का विकास और अनुरक्षण;

(ग) किसानों द्वारा खेत की जल कुल्या और खेत की नाली का दक्ष अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(घ) स्वयं अपने या अन्य अभिकरणों के माध्यम से भूमि विकास के लिये उपाय करना;

(ड.) जल–सम्भरण के, जिसमें ओसराबन्दी भी सम्मिलित है, वितरण और विनियमन के समुपयुक्त प्रणाली को लागू करना;

(च) भूमिगत जल स्रोतों का विकास और नियंत्रण और भूमिगत जल के नियंत्रण और सिंचाई के पानी की वृद्धि, दोनों ही के लिये सतही सिंचाई के साथ–साथ उसका संयुक्त उपयोग सुनिश्चित करना;

(छ) फसलों के उपयुक्त आवर्तन का चयन, प्रारम्भ और प्रवर्तन;

(ज) विभिन्न फसलों के लिये भूमि का स्थान सीमन और विकेन्द्रीकरण;

(झ) सभी निर्दिष्ट सामग्रियों और सेवाओं का सम्भरण सुनिश्चित करना;

(ञ) सिक्त क्षेत्रों में क्षेत्रपतियों, कृषि श्रमिकों, ग्राम शिल्पियों के लिये सामान्य ऋण की व्यवस्था करना, और उन्हें विशेष ऋण देना और उसे वसूल करना;

(ट) विपणन, प्रसंस्करण और स्टोर करने की सुविधाओं का विकास करना;

(ठ) पशुपालन, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, प्रक्षेत्र वन विज्ञान, मत्स्य पालन और औद्यानिकी के क्षेत्र में सहायक कार्यकलापों का विकास करना;

(ड) कृषि सहकारिता और संस्थाओं का संगठन करना;

(ढ) सड़कों का निर्माण करना;

(ण) एकीकृत क्षेत्र विकास के लिये ग्राम विकास केन्द्रों को प्रोन्नति और स्थापना करना;

(त) कृषि प्रसार सेवा जिसमें कृषकों, शिल्पियों को प्रशिक्षण देना, प्रायोगिक केन्द्रों पर क्षेत्र सम्बन्धी अनुसन्धान और कृषक सेवा समितियां भी सम्मिलित हैं ;

(थ) छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्राम शिल्पियों को प्रोन्नति और विकास करना;

(4) ऐसी जंगम और स्थावर सम्पत्ति अर्जित करना और रखना जिसे वह आवश्यक समझे, और ऐसी परिसीमा के अधीन रहते हुये, जो विहित की जाय, ऐसी सम्पत्ति को पट्टे पर देना उसका विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरण करना;

(5) खुले बाजार में ब्याज वाले बन्ध–पत्र और ऋण–पत्र और अन्य प्रतिभूति जारी करके धन उधार लेना ;

(6) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी बैंक या वित्त पोषण संस्था से और राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी निगमित निकाय से या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से धन उधार लेना और निक्षेप स्वीकार करना;

(7) ऐसी फीस, देय और अन्य परिव्यय का उद्ग्रहण करना, जिन्हें सिंचाई के पानी और विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था करने की लागत को वसूल करने के लिये आवश्यक समझा जाय;

(8) किसी अन्य के साथ या अन्य का अपवर्जन करके कृषि उपज, बीज, उर्वरक, नाशिकीट औषधि या किसी कुटीर उद्योग के विपणन प्रसंस्करण या स्टोर करने के कार्य कलाप करना;

(9) ऐसे अन्य कार्य करना जिनको इस अधिनियम के द्वारा या अधीन व्यवस्था की जाय;

(10) यथाविहित कोई अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्ध से असंगत न हो।

सरकार द्वारा प्रतिभूति

13–राज्य सरकार प्राधिकारी द्वारा किये गये बन्धपत्रों और ऋणपत्रों और अन्य प्रतिभूतियों और प्राधिकारी द्वारा लिये गये ऋण और निक्षेप मूलधन के प्रतिदान और उस पर ब्याज और आनुषंगिक परिव्यय के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती है।

योजना

14–(1) प्रत्येक योजना यथाविहित रीति से और प्रपत्र में प्राधिकारी द्वारा तैयार की जायगी और राज्य सरकार की प्रस्तुत की जायगी और उसमें ऐसे अन्य विवरण के साथ–साथ, जो विहित किये जाँय निम्नलिखित ब्योरे होंगे,–

(1) योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र ;

(2) निष्पादित किया जाने वाला या किये जाने वाले निर्माण–कार्य;

(3) योजना का क्षेत्रवार और निर्माण–कार्य दोनों के अनुसार प्रावस्था भाजन;

(4) योजना में और उसकी प्रत्येक प्रावस्था में अन्तर्ग्रस्त लागत;

(5) विभाग या अन्य अभिकरण जो इस समय ऐसा निर्माण–कार्य कर रहे है;

(6) सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों के कर्मचारिवर्ग या ऐसा अन्य कर्मचारिवर्ग, जिनकी सेवाओं की प्राधिकारी को याजना के कार्यान्वित के लिये आवश्यकता होगी;

(7) लाभार्थियों पर उद्ग्रहणीय परिव्यय या देय; और

(8) धारा 27 के अधीन उदग्रहणीय समुन्नति फीस।

(2) प्राधिकारी विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न निर्माण–कार्यों के सम्बन्ध में पृथक् भूमि विकास परियोजनायें और योजनायें तैयार कर सकता है या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी योजना में किसी अन्य वर्तमान योजना, परियोजना या स्कीम को सम्मिलित कर सकता है।

योजना का अनुमोदन

15–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी उपान्तर सहित या उपान्तर रहित योजना या उसकी किसी प्रावस्था का अनुमोदन कर सकती है।

16–धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा योजना या उसकी किसी प्रावस्था का अनुमोदन कर दिये जाने पर (जो उसके अनुमोदित रूप में अनुमोदित योजना कही जायगी) निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:– **अधिसूचना का परिणाम**

(क) राज्य सरकार अनुमोदित योजना के प्रवर्तन क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी साँविधिक विकाय या किसी निगमित निकाय से प्राधिकारी के निदेशों का पालन करने की अपेक्षा कर सकती हैं, और

तद्पुरान्त ऐसा निकाय अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में ऐसे निदेशों का पालन करेगा;

(ख) राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी साँविधिक निकाय या किसी निगम द्वारा कृषि विकास के सम्बन्ध में तैयार की गयी सभी विकास योजनाओं की सूचना, प्राधिकारी को दी जायगी और उन्हें प्राधिकारी के अनुमोदन से और ऐसे उपान्तरों या परिवर्तनों के, यदि कोई हो, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा सुझाव दिया जाय, अधीन रहते हुये और ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुये, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा दिये जाँय, निष्पादित किया जायगा;

(ग) यह समझाा जायगा कि प्राधिकारी को अनुमोदित योजना को कार्यान्वित करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करने जिसमें समुन्नति फीस, निर्माण–कार्य की लागत और अन्य परिव्यय का उद्ग्रहण, और विशेषतः किसी क्षेत्रपति को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में निर्देश देना भी सम्मिलित है, की शक्ति प्राप्त है, अर्थात्:––

(1) रीति जिसके अनुसार खेती की जाय ;

(2) फसलें जो उगाई जाँय और ऐसी फसलों का आवर्तन;

(3) कोई अन्य कृषि उत्पादन करने की रीति ;

(4) कृषि उत्पादन के लिये विभिन्न निविष्ट सामग्री का जैसे बीज, नाशिकीट औषधि, खाद, उर्वरक, मछली चारा, कुक्कुट आहार और ऐसी अन्य मदों का, जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जाय, उपयोग और प्रयोग ;

(5) सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी ले जाने के लिये खेत जलकुल्या की व्यवस्था;

(6) जलोत्सारण की व्यवस्था;

(7) नलकूप, पम्प और सिंचाई के अन्य स्रोतों की स्थिति;

(8) भूमि पर बाड़ लगाना और हटाना;

(9) चारागाहों की व्यवस्था;

(10) विनियमों द्वारा यथाव्यवस्थित समय के भीतर और रीति से विवरणियाँ प्रस्तुत करना, जिसमें निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सही और यथार्थ विवरण होगा, अर्थात्:––

(क) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जिस पर उसके द्वारा खेती की गई हो, ऐसी भूमि का वर्गीकरण, उसमें उसका हित और ऐसी भूमि पर भार, यदि कोई हो;

(ख) उसके द्वारा पैदा किये गये कृषि उत्पादन का प्रकार और उसका परिमाण;

(ग) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय; और

(11) ऐसे अन्य विषय जिनकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय।

(घ) राज्य सरकार अनुमादित योजना के कार्यान्वयन का सामयिक पुनर्विलोकन करेगी।

17–(1) प्राधिकारी सम्बद्ध क्षेत्रपतियों से अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट भूमि विकास करने की अपेक्षा करेगा या स्वविवेक उनकी ओर से ऐसा कार्य करेगा और लाभार्थियों से निर्माण कार्य की आनुपातिक लागत वसूल करेगा। **भूमि विकास**

(2) जहाँ प्राधिकारी स्वयं उपधारा (1) में यथाव्यवस्थित भूमि विकास करना चाहे वहाँ इस प्रकार किये गये भूमि विकास को उन क्षेत्रपतियों को जिनके लाभ के लिये वह आशायित है, सहमति से किया गया समझा जायगा।

(3) प्रत्येक क्षेत्रपति से उद्ग्रहणीय निर्माण–कार्य की आनुपातिक लागत, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाय, उस क्षेत्रपति की भूमि पर प्रभार होगी।

(4) वास्तविक योजना की व्यवस्था करने के उद्देश्य से परियोजना निदेशक को खेत की सीमा का पुनः संरेखण करने और कुलाबा के सिक्त क्षेत्र में, या किसी अन्य परियोजना क्षेत्र में क्षेत्रपतियों द्वारा धृत भूमि के क्षेत्रफल में आनुपातिक कमी करने की शक्ति होगी।

(5) जोत में इस प्रकार किया गया संरेखण और परिवर्तन प्रभावी होगा भले ही किसी अन्य अधिनियमित में उसके सम्बन्ध में कोई असंगत बात दी हो, और अधिकार अभिलेख में सम्यक् नामान्तरण कर दिया जायगा।

18–(1) प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिये जिला समिति स्थापित करेगा। **जिला समितियाँ**

(2) जिला समिति में निम्नलिखित होंगेः––

(क) कलेक्टर	. .	. .	पदेन अध्यक्ष
(ख) परियोजना निदेशक	. .	. .	पदेन सचिव
(ग) पाँच से अनधिक ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें	. .	. .	सदस्य

19–जिला समिति की बैठक ऐसी रीति से होगी और ऐसी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होगी जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय। **जिला समिति की बैठक**

20–जिला समिति ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जैसी विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय या प्राधिकारी द्वारा उसे सौंपी जाय। **जिला समिति के कृत्य और कर्तव्य**

21–किसी विनियम के उपबन्धों या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निदेश के अधीन रहते हुए, परियोजना निदेशक भूमि विकास परियोजना या परियोजनाओं या किसी अन्य परियोजना को, जिसे प्राधिकारी अनुमानित योजना के अन्तर्गत सौंपे, कार्यान्वित करने के समग्र रूप से और तात्कालिक प्रभारी होगा। **परियोजना के निदेशक के कृत्य**

[1][**22**–(1) दिनांक 16 सितम्बर, 1989 से उक्त दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान क्रमशः धारा 22 और 23 के अधीन गठित सभी चक सभायें और चक समितियाँ विघटित हो जायेगी और तदुपरान्त – **चक सभाओं का विघटन और परिणाम**[1]

(क) कुलावा के सिक्त क्षेत्र के भूमि विकास के लिये ऐसे निमित्त समस्त निर्माण–कार्य अैर अन्य स्थावर सम्पत्तियां जो चक सभा की हों, उस गांव सभा को न्यागत और उसमें निहित हो जायेंगी जिसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर ऐसा निर्माण–कार्य और अन्य स्थावर संपत्तियां स्थित हों,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27, 1989 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) किसी चक सभा की समस्त जंगम संपत्ति और आस्तियां, और समस्त अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें, चाहे वे संविदात्मक या अन्य प्रकार की हों, ऐसी गांव सभा को न्यागत होंगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यागमन के सम्बन्ध में, ''कोई सन्देह या विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।][1]

स्पष्टीकरण–इस धारा में और धारा 23 और 24 में ''गांव सभा'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित गांव से है।

[1]जल प्रबन्ध समिति

[**23**–किसी गांव सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता में पड़ने वाले कुलावा के सिक्त क्षेत्र में भूमि विकास के लिये निर्मित ऐसे निर्माण–कार्यों और अन्य संपत्तियों के, जो धारा 22 के अधीन किसी गांव सभा को न्यागत हों, प्रबन्ध और कुलावा प्रणाली के अनुरक्षण, ओसराबन्दी किये जाने और भूमि विकास के वास्तविक निर्माण–कार्य के कार्यान्वयन और फसलों के आवर्तन के लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 के अधीन बनाये गये नियमों में नियत रीति से एक जल प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।][1]

[1]जल प्रबन्ध समिति की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य

[**24**–(1) धारा 23 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जल प्रबन्ध समिति की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 के अधीन बनाये गये नियमों में नियत किये जाएं।

(2) संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और धारा में निर्दिष्ट शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को उक्त अधिनियम के अधीन गांव पंचायत की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य समझा जायेगा।][1]

सम्पत्ति, संविदा, वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

संविदा आदि का निष्पादन और रजिस्ट्रीकरण

25–प्राधिकारी की ओर से प्रत्येक संविदा या सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्र लिखित रूप में होगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा।

प्राधिकारी की निधि

26–(1) प्राधिकारी की अपनी निधि होगी जो "परियोजना निधि" कही जायगी, और वह स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि से भिन्न सभी प्राप्त धनराशि जमा की जायगी।

(2) प्राधिकारी की एक और निधि होगी जो "ऋण निधि" कही जायगी और वह भी स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें प्रधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऋण के रूप में प्राप्त सभी धनराशि जमा की जायगी।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी, राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से ऐसी अन्य निधि बना सकता है जो इस अधिनियम के अधीत कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिये आवश्यक है।

समुन्नति फीस

27–(1) योजना बनाते समय प्राधिकारी यह घोषणा कर सकता है कि उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में योजना के निष्पादन से अनुरचना में सुधार और स्थायीकरण या सिंचाई सुविधाओं या संचार साधनों और अन्य सेवाओं में सुधार किये जाने के फलस्वरूप क्षेत्रपतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलने वाले लाभ के बदले में क्षेत्रपतियों द्वारा धृत भूमि क्षेत्र पर समुन्नति फीस उद्ग्रहणीय होगी।

(2) समुन्नति फीस यथाविहित रीति से निर्धारित की जायगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 27, 1989 की धारा 4 द्वारा धारायें 22, 23, 24 प्रतिस्थापित।

प्राधिकार को अनुदान और वित्तीय सहायता

28–(1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन करने के पश्चात् समय–समय पर, प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुदान और वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकती है।

(2) राज्य सरकार अनुमोदित योजना में सम्मिलित किसी प्रयोजन के लिये किसी बोर्ड या अन्य निकाय या व्यक्ति विशेष को कोई वित्तीय–सहायता, अनुदान और ऋण प्राधिकारी के माध्यम से ही देगी, अन्यथा नहीं।

प्राधिकारी को ऋण

29–राज्य सरकार समय–समय पर प्राधिकारी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जिन पर राज्य सरकार और प्राधिकारी सहमत हों, ऋण दे सकती है।

प्राधिकारी को उधार लेने की शक्ति

30–(1) प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्टाक–पत्र या बन्ध–पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा या उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जायगी और उसका ऐसी रीति से मोचन किया जायगा जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दें।

(2) प्राधिकारी ऐसी उधार ली गयी धनराशि का कोई भाग किसी अन्य निकाय को अधिनियम में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें प्राधिकारी अवधारित करे, अग्रिम दे सकता है।

अवक्षयण संचिति

31–प्राधिकारी एक अवक्षयण संचिति सृजित करेगा और उसके लिये यथाविहित सिद्धान्तों के अनुसार वार्षिक व्यवस्था करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

32–(1) प्राधिकारी वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति एक विवरण–पत्र या अनुपूरक विवरण–पत्र और उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने` पूर्व तैयार करेगा और उसके दौरान किसी भी समय तैयार कर सकता और उन्हें राज्य सरकार की ऐसी रीति से, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक तक, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगाः

परन्तु उस वित्तीय वर्ष के, जिसके सम्बन्ध में ऐसा वित्तीय विवरण–पत्र प्रस्तुत किया गया हो, प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसा पूर्वानुमोदन प्राप्त न होने की दशा में, प्राधिकाी सभी लेखों में उतनी राशि तक को जो वित्तीय वर्ष की तत्स्थानी अवधि के लिये अनुमोदित राशि से अधिक न हो, व्यय करने का हकदार होगा और ऐसी राशि में उक्त अवधि के दौरान अनुदान और वित्तीय सहायता में से व्यय की गयी कोई धनराशि सम्मिलित न होगी।

(2) प्राधिकारी ऐसी उचित लेखा–वही और अपने लेखों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य बही रखवायेगा परियोजना और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से पक्का चिट्ठा तैयार करायेगा जैसी विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।

अधिभार

33–(1) प्राधिकारी के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकारी की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्ष्यय या दुरूपयोग के लिये अधिभार के देनदार होंगे, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(3) कोई राशि जो ऐसी हानि, दुर्ष्यय या दुरूपयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पायी जाय, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(4) प्राधिकारी को उपधारा (3) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट किसी राशि को ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को प्राधिकारी द्वारा पारिश्रमिक के मद्धे या अन्य प्रकार से देय किसी धनराशि में से कटौती करने से निषिद्ध न करेगी।

उद्ग्रहणीय परिव्यय

34–प्राधिकारी सिंचाई जल कुल्याओं के अनुरक्षण और मरम्मत के लिये, जहां ऐसी जल कुल्याओं का अनुरक्षण प्राधिकारी द्वारा किया जाय, लाभार्थियों से परिव्यय उद्गृहीत कर सकता है।

भूमि विकास की लागत और निर्माण कार्य की लागत की वसूली

35–(1) ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन जिन्हें विहित किया जाय और राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन भी रहते हुए, प्राधिकारी भूमि विकास की लागत और किसी निर्माण–कार्य की लागत की वसूली के लिये उस व्यक्ति से, जो ऐसी भूमि विकास और निर्माण–कार्य से लाभान्वित हुआ है, ऐसी किस्तों में और ऐसी अवधि के दौरान जैसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, परिव्यय उद्ग्रहीत कर सकता है।

(2) भूमि विकास और निर्माण–कार्य की लागत की वसूली ऐसे अनुपात में की जायगी जैसा प्राधिकारी उस निर्माण–कार्य से प्रत्येक लाभार्थी की भूमि को हुये लाभ या सम्भावित लाभ को ध्यान में रखते हुय नियत करे।

सेवा के लिये फीस

36–प्राधिकारी किसी व्यक्ति के निमित्त की गयी सेवा के लिये ऐसी फीस ले सकता है जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट को जाय।

फीस लागत या अन्य धनराशि की वसूली

37–अधिनियम के अधीन प्राधिकारी को किसी विशेष ऋण समुन्नति फीस परिव्यय, अन्य फीस, निर्माण–कार्य की लागत, शास्ति या क्षतिपूर्ति के मद्धे देय कोई धनराशि भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

लागत की वसूली के प्रति अधिकार और दायित्व का अन्तरण

38–(1) जब किसी व्यक्ति से किसी निर्माण–कार्य की लागत के प्रति कोई परिव्यय धारा 35 के अधीन वसूल किया जाना हो तब इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्रपतियों से लागत या लागत के भाग की वसूली के लिए प्राधिकारी के समस्त अधिकार और दायित्व, यदि प्राधिकारी ऐसा निदेश दे, ऐसे क्षेत्रपतियों के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 में यथा परिभाषित भूमि विकास बैंक को जिसे आगे "विकास बैंक" कहा गया है, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिसमें प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति देने के सम्बन्ध में कोई शर्त भी सम्मिलित है), जैसा प्राधिकारी, राज्य सरकार और ऐसे बैंक के बीच सहमत हो, अन्तरित हो जायेंगी।

(2) जहाँ प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन निदेश दे, वहां यह समझा जायगा कि प्रत्येक सम्बद्ध क्षेत्रपति सहकारी समिति, अर्थात् सम्बद्ध विकास बैंक का सदस्य हो गया है,और तद्नुसार समिति, में एक अंश के मूल्य के बराबर राशि निर्माण–कार्य की लागत में जोड़ दी जायगी और उसके साथ वसूल की जा सकेगी।

(3) ऐसी सहमती होने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक भू–स्वामी विकास बैंक के समक्ष अपनी भूमि से सम्बन्धित समस्त ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य को, जैसा बैंक अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

(4) प्राधिकारी के अधिकारों और दायित्वों के ऐसे अन्तरण पर, विकास बैंक प्राधिकारी को ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो करार के अधीन द्वारा स्वीकार किये गये दायित्व के बराबर होगा, और प्राधिकारी सम्बद्ध क्षेत्रपतियों को ऐसे अन्तरण की सूचना देगा, और तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति से वसूल की जाने वाली राशि विकास बैंक द्वारा वसूल की जायगी मानों वह ऐसे बैंक द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया गया ऋण था।

(5) अधिकारों और दायित्वों का अन्तरण और तद्नुसार उसके सम्बन्ध में किया गया भुगतान भू–स्वामी को अपने दायित्वों का प्राधिकारी को भुगतान करने की केवल उस सीमा तक उन्मोचित कर देगा जिस सीमा तक विकास बैंक द्वारा दायित्व स्वीकार किया गया है।

अपराध और शास्ति

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

39–कोई व्यक्ति––

(क) योजना तैयार करने के लिये किसी भूमि का सर्वेक्षण करने में प्राधिकारी की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझ कर बाधा नहीं पहुँचायेगा ;

(ख) किसी निर्माण–कार्य को निशानबन्दी के प्रयोजनार्थ भूमि पर स्थापित किसी स्तम्भ, खम्भा या रोक को जानबूझ कर न हटायेगा और न क्षति पहुँचायेगा, और न इस प्रयोजनार्थ लगाये गये चिन्ह को विरूपति करेगा या नष्ट करेगा;

(ग) अनुज्ञा देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी जलकुल्या को न तोड़ेगा, न क्षति पहुँचायेगा और न खोलेगा;

(घ) जानबूझकर किसी कुल्या के जल प्रवाह में न बाधा डालेगा, न उसे अन्यत्र ले जायेगा, न उसे मोड़ेगा और न ही उससे जल प्राप्त करेगा ;

(ड) प्राधिकारी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने में बाधा नहीं डालेगा;

(च) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों की अवज्ञा नहीं करेगा।

प्राधिकारी के सदस्य, अधिकारी और सेवक लोक–सेवक होंगे अधिनियम संख्या 45, 1860

40–प्राधिकारी के सभी सदस्य, अधिकारी और सेवक, चाहे वह प्राधिकारी या राज्य सरकार उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हों या उसके द्वारा नियुक्त किये गये हों, जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहे हों, या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक–सेवक समझे जायेगे।

अपराधों का संज्ञान

41–कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि अपराध किये जाने के पश्चात् अगले छः मास के भीतर प्राधिकारी द्वारा उसका परिवाद न किया जाय।

सामान्य शास्ति

42–कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन जारी की गई किसी नोटिस, आदेश या निदेश का अनुपालन नहीं करता हैं तो उसे जुर्माने का जो एक हजार रूपए तक हो सकता है और अग्रेतर जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब प्रथम दोष–सिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहे, पचास रूपए तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

43–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य–संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तद्नुसार दण्डनीय होगाः

परन्तु इस उपधारा को किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उनकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, तो ऐसेनिदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तद्नुसार दण्डनीय होंगे।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिये––

(क) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है; और

(ख) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है।

प्रवेश करने की शक्ति

44–प्राधिकारी का कोई अधिकारी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किसी की सहायता से या बिना सहायता के किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है:––

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने;

(ग) अवभूमि खोदने या बेधने;

(घ) सीमाओं तथा निर्माण–कार्य की अभिप्रेत लेखाओं को नियत करने;

(ड) चिन्ह बनाकर या खाइयां काटकर ऐसी सतह, सीमा और रेखा को चिन्हांकित करने; या

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।

अपना नाम तथा पता न बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति

45–(1) जहां कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकारी के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया हो या जिसके विरूद्ध ऐसा अपराध करने का दोष लगाया गया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को कोई ऐसा अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, ऐसे अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या न बताये या ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है तो ऐसा अधिकारी उसका नाम या पता या दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देदश्य से उसे बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 की उपधारा (2) और (3) और धारा 43, 48, 56, 58 और 59 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उसकी धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

अपराधों का शमन

46–(1) प्राधिकारी का अध्यक्ष या सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है।

(2) जहाँ किसी अपराध का शमन किया जा चुका हो तो अपराधी, यदि अभिरक्षा में हों, उन्मुक्त कर दिया जायगा और इस प्रकार शमन किये गये अपराधों के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों आदि के कर्तव्य

47–राज्य सरकार के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का जिनकी जानकारी में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया जाय या किये जाने का प्रयास किया जाय, यह कर्तव्य होगा कि वे प्राधिकारी या इस निमित प्राधिकृत प्राधिकारी के अधिकारियों को यथास्थिति, ऐसे अपराध के किये जाने या किये जाने का प्रयास करने की तुरन्त सूचना दे और ऐसे सभी अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता करें।

नीति के प्रश्नों पर प्राधिकारी को निदेश

48–(1) अपने कृत्यों का निर्वहन करने में प्राधिकारी नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से मार्गदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायं।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्राधिकारी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े, विवर – णियां, और अन्य सूचना

49–(1) प्राधिकारी, यथाशीघ्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्य–कलापों का विवरण दिया जायगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को पस्तुत करेगा और रिपेर्ट में उन कार्य–कलापों का भी, यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ किये जाने की सम्भावना हो, विवरण होगा और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(2) प्राधिकारी राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े और विवरणियों और प्राधिकारी के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य–कलापों या प्राधिकारी के नियंत्रण में किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जिनकी राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

राज्य सरकार के विभागों और अन्य सांविधिक निकायों का सहायता करने का कर्तव्य

50–(1) राज्य सरकार के समस्त विभाग और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य सांविधिक निकाय प्राधिकारी को ऐसी मदद और सहायता देंगे और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और ऐसे अभिलेखों, मानचित्रों, नक्शों और अन्य दस्तावेजों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपेक्षा करे, निरीक्षण और जांच करने (और यदि आवश्यक हो तो उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करने) के लिये उपलब्ध करायेंगे।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जिसके अधीन कोई सांविधिक निकाय गठित किया जाय, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसे निकाय को ऐसा निदेश दे सकती है जो उसकी राय में प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकने के लिये आवश्यक या समीचीन हो और तदुपरान्त ऐसे निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करें।

प्रतिकर का भुगतान करने की सामान्य शक्ति

51–किसी ऐसे मामले में, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः न की गयी हो, प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकारी में निहित किसी शक्ति के प्रयोग से क्षति पहुँचे, युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान कर सकती है।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

52–कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या प्राधिकारी या प्राधिकारी के अध्यक्ष या अन्य सदस्य या राज्य सरकार या प्राधिकारी के किसी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित हो।

नियम और विनियम

नियम बनाने की शक्ति

53–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

54–(1) प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों। **विनियम**

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थातः——

(क) प्राधिकारी की बैठक बुलाना और करना, वह समय और स्थान, जब और जहां पर ऐसी बैठक की जाय, ऐसी बैठक में कार्य–संचालन और उसमें गणपूर्ति के लिये व्यक्तियों की आवश्यक संख्या;

(ख) प्राधिकारियों के कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) प्राधिकारी की सम्पत्ति का प्रबन्धक;

(घ) प्राधिकारी की ओर से सम्पत्ति की संविदाओं और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन;

(ङ) वह सीमा जिस तक प्राधिकारी का अध्यक्ष, सदस्य, सचिव या कोई अन्य अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष में आवर्तक और अनावर्तक व्यय करने के लिये सक्षम होगा;

(च) प्राधिकारी द्वारा लेखों का रखा जाना और पक्का चिट्ठा तैयार किया जाना ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी के कृत्यों को, जिसके अन्तर्गत योजना का तैयार किया जाना है, कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ज) प्राधिकारी के अध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(झ) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

(3) प्राधिकारी द्वारा कोई विनियम न बनाये जाने तक कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है और इस प्रकार बनाये गये किसी विनियम को प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तित या विखण्डित कर सकता है।

55–राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, प्राधिकारी विनियमों द्वारा, योजना बनाने की शक्ति के सिवाय अपनी किसी शक्ति को प्राधिकारी के अध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। **शक्तियों का प्रत्यायोजन**

56–जहां इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों के सम्बन्ध में कोई शक्ति किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य निकाय को सौंपी जाय, वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वह शक्ति प्राधिकारी को या अधिसूचना के विनिर्दिष्ट उसके किसी अधिकारी को प्रदत्त की गई समझी जायगी। **अन्य अधिनिय – मितियों के अधीन प्राधिकारी को अतिरिक्त शक्तियां प्रदत्त की जा सकती हैं**

57–(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ विशेषतः प्राधिकारी को राज्य सरकार के अन्य विभागों या प्राधिकारियों या निकायों से कृत्यों का संक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह आवश्यक या समीचीन समझेः **कठिनाइयों को दूर करना**

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के उपरान्त नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

58–(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। **निरसन और अपवाद**

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था। **उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32, 1976**